(13)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 701 कैम्प-प्र०अ०-विकास/03 (मु०-0)/17 दिनांक 21/09/17

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है। ग्रामीण मार्गो के निर्माण के लिए पूर्व से ही विशिष्टियाँ निर्धारित हैं। इस विषय में मुख्यालय पर गठित कोर कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कुछ ग्रामीण मार्गो का निर्माण प्रयोगात्मक/अन्वेषण रूप से किया जाय एवं उन निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं डयूरिबिलिटी (durability) का समय-समय पर परीक्षण किया जायेगा। यदि डयूरिबिलिटी, निर्माण अवधि में समय की बचत एवं लागत में कमी आती है तो इस तकनीक से विस्तृत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। सभी मुख्य अभियन्ता इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र से कम से कम एक मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें। कार्य के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाय कि प्रयोगात्मक रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं निर्माण उपरान्त इसकी डयूरिबिलिटी एवं उपयोगिता को समय-समय पर देखा जाय एवं समस्त रिकार्ड को मुख्यालय पर प्रेषित किया जाय।

ह0/-
(वी0 के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ईमेल द्वारा)

21/9/17
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष